

ज० वि० आकार-पत्र 71
0199300
(नियम 255 देखिए)

बही-सं० क्रम-सं०
चल सम्पत्ति की कुर्की का अधिपत्र
(देखो धारा 282, ऐक्ट 1, सन् 1951 ई०)

1-अधिपत्र सं०
2-सेवा में *
3-नाम बाकीदार और पता

4-देय धनराशि
5-देय धनराशि (Dues) का प्रकार
6-दिनांक इजरा
7-वाद की संख्या

हस्ताक्षर बासिल-बाकी-नवीस हस्ताक्षर तहसीलदार

*यहां अधिपत्र का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम लिखिए।

परगना अधिकारी या कलेक्टर की आज्ञा का मरण-पत्र, जिसे यह व्यक्त हो कि वह इस बात से सहमत हैं और उसने कुर्की के अधिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(हस्ताक्षर)

परगना अधिकारी या कलेक्टर

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 026 जेड०ए०-26-6-96-(395)-4,049 पुस्तकें-(इले०/आफसेट)।

ज० वि० आकार-पत्र 71
बही-सं०.....

चल सम्पत्ति की कुर्की का अधिपत्र
(देखो धारा 282, उ०प्र० ज० वि० और भू० व्य० ऐक्ट, 1950 ई०)
सेवा में * निवासी

(नियम 255 देखिए)
क्रम-सं०.....

0199300

मालगुजारी की बकाया

के निमित्त.....रु० का बाकीदार है, मालगुजारी के रूप में वसूल होने वाली...की बकाया इसलिए एतद्द्वारा आपको यह निर्देश किया जाता है कि आप उक्तकी चल संपत्ति कुर्क कर लें तथा उसके अपने अधिकार में उसे समय तक रखें जब तक उक्तआपको उक्तरु० की धनराशि तथा इस कुर्की के परिव्यय के रूप में.....रु० न चुका दें और इस न्यायालय द्वारा आपको अन्य कोई आज्ञा न दी जाय।

आपको यह भी निर्देश किया जाता है कि आप दिनांक19 ई० को या इससे पहले नीचे लिखे आकार-पत्र में प्रसूचना (Report) सहित अधिपत्र लौटा दें।

मेरे द्वारा तथा इस न्यायालय की मुहर के साथ आज दिनांक 19 ई० को जारी किया गया।

मुहर

(हस्ताक्षर)

कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर।

* यहां अधिपत्र का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम लिखिए। यदि कोई मालगुजारी न हो तो शब्द "मालगुजारी" काट दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "मालगुजारी" के रूप में वसूल की जाने वाली" के पश्चात् देय धनराशि का प्रकार लिखा जाय।

निष्पादन करने वाले अधिकारी की प्रसूचना

अधिपत्र तामील नहीं हो सका और वह आज दिनांक19 ई० को लौटाया जाता है क्योंकिबाकीदार की निम्नलिखित संपत्ति कुर्क कर ली गई और वहपिता का नाम.....निवासी.....की अभिरक्षा में दे दी गई है। सम्पत्ति का ब्यौरा.....उल्लिखित सम्पत्ति प्राप्त हुई।

हस्ताक्षर सुपुर्दार

हस्ताक्षर

साक्षी निष्पादन करने वाले अधिकारी
साक्षी (Executive Officer)